अध्याय II

सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्र अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय II

अनुपालन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में सामाजिक, सामान्य और आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों से संबंधित नौ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। टिप्पणियाँ अप्राधिकृत भुगतान, निधियों की उपलब्धता के बावजूद भी परिसंपत्तियों का गैर-सृजन, परिसंपत्तियों की कम उपयोगिता, निर्माण कार्यों का गैर-निष्पादन, निधियों का अवरोधन, व्यय का अधिक विवरण तथा निष्फल व्यय इत्यादि से संबंधित हैं। इन टिप्पणियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹192.47 करोड़ है। उत्तरवर्ती पैराओं में टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

शिक्षा विभाग

2.1 मॉडल स्कूलों की स्थापना न करना

ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त धनराशि के समय पर उपयोग हेतु कार्रवाई करने में विभागीय विफलता का परिणाम अभिप्रेत हितभागियों को गुणता शिक्षा से वंचित रखने और उपलब्ध कुल ₹44.13 करोड़ की निधियों के गैर-उपयोग के रूप में हुआ। राज्य सरकार का ₹5.74 करोड़ का योगदान तथा प्रोद्भूत ब्याज सहित ₹44.13 करोड़ की उपलब्ध निधियों का भी, दस वर्षों के लिए अवरोधन हुआ।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार (जीओआई) ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए प्रत्येक ब्लॉक (ईबीबी) में कम से कम एक बेहतर गुणता वाले माध्यमिक स्कूल (मॉडल स्कूल) होने के उद्देश्य सहित एक योजना प्रारंभ (नवंबर 2008) की। योजना वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित की जानी थी। क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) एक विशेष श्रेणी का राज्य है, अतः योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तपोषण का प्रतिमान भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) के लिए क्रमश: 90:10 था।

जीओजेएण्डके ने डीएसईएल, एमएचआरडी, जीओआई की सहायता अनुदान समिति (जीआईएसी) को ईबीबी के लिए 24 (17 नए स्कूलों और सात विद्यमान स्कूलों का प्रत्यावर्तन) स्कूलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव (नवंबर 2009) प्रस्तुत किये। इसकी

तीसरी बैठक (नवंबर 2009) के दौरान, जीआईएसी ने पाया कि ₹6.18 करोड़ की अनुमानित इकाई लागत ₹3.02 करोड़ प्रति मॉडल स्कूल के योजना मानदंड से अधिक थी और इसलिए, राज्य सरकार को या तो प्राक्कलन संशोधित करना या अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना अपेक्षित था। इसी बैठक में, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के प्रतिनिधि ने जीआईएसी को सूचित किया कि प्राक्कलनों को संशोधित किया जाएगा जिससे इसे योजना मानदंडों के अंदर लाया जा सके। जीआईएसी ने इस प्रकार से राज्य में 19 नए मॉडल स्कूलों की स्थापना (नवंबर 2009) किए जाने की अनुशंसा की। तत्पश्चात्, वर्ष 2010-11 में योजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) को लागत का संशोधन प्रस्तुत किया जाना उल्लिखित किया गया था।

तदुपरांत, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विद्यमान प्रावधानों में संशोधन किये गये, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को एक बार ईबीबी के लिए संस्वीकृत 19 मॉडल स्कूलों के संबंध में दरों की राज्य अनुसूची (एसएसओआर) के आधार पर लागत को संशोधित करने के अवसर की अनुमति (अप्रैल 2014) प्रदान की। राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जेएण्डके नूर सोसाइटी[1] द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, जीओजेएण्डके द्वारा एसएसओआर 2012 पर आधारित एक प्रस्ताव डीएसईएल को प्रस्तुत (अगस्त 2014) किया जाना उल्लिखित किया गया था। संशोधित प्रस्तावों का सुसंगत विवरण इस आधार पर उपलब्ध नहीं कराया गया था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निदेशालय (आरएमएसए) सितंबर 2014 के माह में आयी विनाशकारी बाढ़ों में 25 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जलमग्न रहा तथा हार्डकॉपी के अधिकांश अभिलेख नष्ट हो गये थे। तत्पश्चात, जीओआई ने फरवरी 2015 में योजना को जीओआई सहायता से अलग कर दिया।

सहायता अनुदान के ₹25.82 करोड़ (90 *प्रतिशत*) की पहली किस्त (फरवरी 2010) निर्गत की गई थी तथा राज्य सरकार ने राज्य परियोजना निदेशक, (एसपीडी) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को ₹2.87 करोड़ निर्गत (जून 2010) किये। ₹29.23 करोड़[2] की संपूर्ण राशि दिसंबर 2010 में हस्तांतरित की गयी थी और राज्य

---

[1] जेएण्डके नूर सोसाइटी आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी है।

[2] केंद्रीय शेयरः ₹25.82 करोड़; राज्य शेयरः ₹2.87 करोड़ और ब्याजः ₹0.54 करोड़।

परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा जेएण्डके नूर सोसाइटी के निपटान पर रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ₹2.87 करोड़ का अतिरिक्त राज्य शेयर निर्गत (जनवरी 2011) किया।

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा[3] के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2019) से पता चला कि ₹25.82 करोड़ का सहायता अनुदान तथा ₹5.74 करोड़ का राज्य शेयर जेएण्डके नूर सोसाइटी के बचत बैंक खाते में पड़े हुए थे। दस वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी सरकार ने राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त पहल (जुलाई 2019) नहीं की है।

इस प्रकार, मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए जीओआई से प्राप्त धनराशि डीएसईएल, एमएचआरडी, जीओआई द्वारा मानदंडों में छूट के बावजूद समय पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता का परिणाम न केवल दस वर्षों की अवधि से अधिक ₹44.13 करोड़[4] अप्रयुक्त रहने के रूप में हुआ बल्कि अभिप्रेत हितभागियों को गुणता शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। राज्य के ₹5.74 करोड़ शेयर के बाद भी ब्याज सहित ₹44.13 करोड़ अवरुद्ध रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (जनवरी 2019) किए जाने पर, मुख्य लेखा अधिकारी, समग्र शिक्षा, जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने (जुलाई 2019/ जून 2020) कहा कि मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु प्रारंभिक रूप से अनुमोदित राशि निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए अपर्याप्त थी, हालांकि, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) को प्रस्तुत (2010-11) लागत के संशोधन से संबंधित मामला अनिर्णीत (जून 2020) रहा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग ने या तो प्रत्येक स्कूल के इकाई लागत प्राक्कलन को संशोधित करने के लाभ का या डीएसईएल, एमएचआरड़ी, जीओआई द्वारा मानदंडों की छूट के बावजूद वित्तीय भार को वहन करने का उपयोग नहीं किया था। इसके अलावा, वर्ष 2015 में जीओआई सहायता से योजना को डिलिंक करने के उपरांत, विभाग को इसके स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करनी थी जिसके लिए कोई कदम नहीं उठाये गये थे और ₹44.13 करोड़ का बैंक खाते में पड़े रहना जारी रहा।

---

[3] समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना में तीन योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) शामिल कर ली गयी हैं।

[4] केंद्रीय शेयरः ₹25.82 करोड़; राज्य शेयरः ₹5.74 करोड़ और ब्याजः ₹12.57 करोड़ (दिसंबर 2018 की समाप्ति)।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

राज्य सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्वीकृति आदेश में निहित शर्तों तथा मॉडल स्कूलों की स्थापना नहीं करने हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व के अनुसार प्रोद्भूत ब्याज सहित अव्ययित राशि का प्रतिदाय किया जाए।

वित्त विभाग

2.2 सरकारी विभागों में बैंक खातों का प्रबंधन

डीडीओ के बैंक खातों में निधियों की उपयोगिता के समेकन और सुव्यवस्थीकरण पर समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया था। दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान डीडीओ के व्यतिरिक्त बैंक खातों से ₹64.10 करोड़ की अल्प राशि ही हस्तांरित की गयी थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान तीन चयनित सरकारी विभागों के 131 आहरण और संवितरण अधिकारियों के 1,138 बैंक खातों में संचित शेष ₹116.41 करोड़ से ₹399.94 करोड़ तक बढ़ गया। संचित शेष में वृद्धि आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को राहत/ मुआवजे की निधियाँ संवितरित नहीं करने, अनुचित योजना तथा योजनाओं के गैर-समापन, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में व्यय के अधिक विवरण, निधियों के प्रतिधारण, सरकारी खाते से बाहर सांविधिक कटौतियों और भूमि मुआवजे के प्रतिधारण के कारण थी।

2.2.1 प्रस्तावना

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा कोषागार से निधियों के आहरण की प्रक्रिया को जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता (जेकेएफसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। जेकेएफसी के नियम 2-27 के अनुसार, डीडीओ द्वारा कोषाधिकारियों (टीओ) को अपेक्षित निधियों के आहरण के लिए बिलों/ दावों को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उसके उपरांत निधियाँ कोषागार द्वारा डीडीओ के बैंक खातों में जमा की जाती हैं, जो बदले में सीधे ही हितभागियों के बैंक खाते में भुगतानों को जमा करने के लिए बैंक संज्ञापनों को जारी करते हुए भुगतान करता है। जेकेएफसी का वित्तीय नियम 2-33, निवेश या अन्यत्र जमा करने के लिए सरकार की सहमति

के बिना डीडीओ द्वारा कोषागार से धन के आहरण करने को निषिद्ध करता है। हालांकि, जहाँ एक पृथक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है, वहाँ नियम जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (जेकेबीएल) के कार्यालय में खाता खोलने का उपबंध करते हैं और जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् डाक घर बचत बैंक में या अन्य किसी बैंक में खाते खोले जा सकते हैं।

सरकारी विभागों में बैंक खातों के प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) यह आंकलन करने के लिए किया गया था कि क्या डीडीओ द्वारा वित्तीय मामलों से संबंधित विहित नियमों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्रों/ निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं। सरकारी विभागों में बैंक खातों के समेकन और संख्या में कमी से संबंधित 9 दिसंबर 2016 के सरकारी अनुदेशों का डीडीओ द्वारा अनुपालन करने के आंकलन पर जोर दिया गया था। राज्य के 22 जिलों में से छह[5] में तीन विभागों[6] के 131 डीडीओ के अभिलेखों की यादृच्छिक चयन के आधार पर नमूना-जांच की गयी थी।

2.2.2 बैंक खातों का सुव्यवस्थीकरण तथा रोकी गई निधियों का समेकन

वित्तीय अनुशासन सुधार के साथ-साथ निधियों के परिसमापन को सुनिश्चित करते हुए असंवितरित वेतनों, संविदाकार भुगतानों और अन्य देयताओं के कारण संबंधित विभागों के उल्लेखनीय उच्च बैंक शेषों के निपटान या परिसमापन के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली की पूर्वापेक्षा होती है। इस उद्देश्य के साथ, वित्त विभाग ने 09 दिसंबर 2016 को, सरकारी विभागों में डीडीओ के बैंक खातों की संख्या में कमी और समेकन के लिए निर्देश जारी किये थे।

इन निर्देशों के अनुसार, डीडीओ के सभी सरकारी बैंक खाते जो निर्देश जारी होने की तिथि को 'शून्य' शेष रखते थे, और जो दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अप्रवर्ती थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना था। इसके अतिरिक्त, डीडीओ के सभी सरकारी बैंक खाते जो दो वर्षों से अधिक के लिए अप्रवर्ती रहे और सकारात्मक रोकड़ शेष रखते थे, वे बंद किए जाने थे और धन को वित्त सचिव, जम्मू एवं

[5] जम्मू प्रभाग में जम्मू, रियासी और राजौरी तथा कश्मीर प्रभाग में अनंतनाग, बारामूला और कारगिल।

[6] लोक निर्माण, राजस्व और ग्रामीण विकास।

कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) के आधिकारिक बैंक खाते[7] में हस्तांतरित किया जाना था। हालांकि, एक वर्ष से अधिक के लिए अप्रवर्ती रहे सभी सरकारी खातों के रोकड़ शेष को वित्त सचिव, जीओजेएण्डके के आधिकारिक खाते में हस्तांरित किया जाना था, यद्यपि इन खातों को बंद नहीं किया जाना था।

वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध (अक्टूबर 2018) कराई गई सूचना के अनुसार, जेकेबीएल ने पहचान की कि जेकेबीएल में परिचालित 19,260 बैंक खातों में से 12,241 खाते (64 प्रतिशत), जो एक वर्ष से अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, उन्हें बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। इन खातों में पड़े हुए ₹64.10 करोड़ के समेकित शेष (20 फरवरी 2017 तक) को सरकारी खाते में हस्तांतरित किया गया था। हालांकि, वित्त विभाग ने कहा (अक्टूबर 2018) कि जमा शेष सहित कुछ बैंक खाते केस-टू-केस आधार पर बाद में पुनः स्थापित किए गए।

बैंक खाते जो पूर्व में फ्रीज थे और बाद में पुनः स्थापित किए गए थे, से संबंधित सूचना वित्त विभाग द्वारा सितंबर 2020 तक प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा केवल जेकेबीएल में परिचालित खातों में से अप्रवर्ती खातों के संबंध में पहचान प्रक्रिया (दिसंबर 2016 से फरवरी 2017 में) की गई थी। विभाग द्वारा जेकेबीएल के अलावा अन्य बैंको में डीडीओ के अप्रवर्ती बैंक खातों की पहचान नहीं की गई (अक्टूबर 2018) थी।

2.2.3 बैंक खातों में असंवितरित/ अप्रयुक्त शेष

छह जिलों में (राज्य के 22 जिलों में से) चयनित तीन विभागों के 131 डीडीओ के अभिलेखों (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिचालित 1,138 बैंक खातों ***(परिशिष्ट 2.2.1)*** में असंवितरित/ अप्रयुक्त शेष का संचय हुआ और जिसे तालिका 2.2.1 में दर्शाया गया है।

[7] खाता संख्याः 0110010200000852

तालिका 2.2.1: संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक बैंक खातों में असंवितरित/ अप्रयुक्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	डीडीओ की संख्या	परिचालित बैंक खातों की संख्या	2015	2016	2017	2018	2019
1.	राजस्व	58	231	57.47	110.47	98.17	222.23	280.32
2.	लोक निर्माण	10	34	17.70	15.93	35.47	56.85	49.55
3.	ग्रामीण विकास	63	873	41.24	50.38	90.71	68.94	70.07
कुल		**131**	**1,138**	**116.41**	**176.78**	**224.35**	**348.02**	**399.94**
पिछले वर्ष से अधिक प्रतिशतता वृद्धि				**अनुपलब्ध**	**52**	**27**	**55**	**15**

(स्रोत: डीडीओ द्वारा उपलब्ध सूचना और बैंक विवरण)

जैसा तालिका 2.2.1 से स्पष्ट होता है कि 31 मार्च 2015 को 131 डीडीओ के 1,138 बैंक खातों में संचयी शेष ₹116.41 करोड़ था, जो मार्च 2019 के अंत में ₹399.94 करोड़ तक बढ़ गया। लेखापरीक्षा में डीडीओ के बैंक खातों में उल्लेखनीय शेषों के संचय हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विश्लेषण किया गया और निष्कर्षों की उत्तरवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है। 131 डीडीओ और उनसे संबंधित 1,138 बैंक खातों का विवरण ***परिशिष्ट 2.2.1*** में दिया गया है।

2.2.4 परिचालित बैंक खातों में असंवितरित निधियाँ

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता के नियम 2-33 में उल्लिखित था कि निधियों को कोषागार से केवल तभी आहरित किया जाना चाहिए जब उनका तत्काल संवितरण आवश्यक हो। बजट अनुदानों के व्यपगत होने को टालने की दृष्टि से निधियों के आहरण की रीति निषिद्ध है। लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) कि डीडीओ के परिचालित बैंक खातों में शेषों का संचय कोषागार से आहरित असंवितरित/ अप्रयुक्त निधियों के कारण था। यह इंगित करता है कि कोषागार से डीडीओ द्वारा निधियों का आहरण वास्तविक आवश्यकता/ संवितरण के अनुमान में या वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के व्यपगत होने को टालने के लिए किया गया था। वास्तविक व्यय, जो कि बाद में संवितरित/ उपयोग नहीं किया गया था, के अनुमान में कोषागार से निधियों के आहरण के उदाहरणों की चर्चा नीचे की गयी है।

2.2.4.1 खुंदरू अचाबल के आग पीड़ितों को मुआवजा

11 अगस्त 2007 की खुंदरू अचाबल सेना आयुध भंडार की आग के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने आग की घटना के पीड़ितों को संवितरण हेतु उपायुक्त, अनंतनाग के पक्ष में ₹26.74 करोड़ निर्गत (2007) किये। अभिलेखों

की संवीक्षा (फरवरी 2020) से पता चला कि दिसंबर 2009 तक प्रभावित आबादी की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ₹23.19 करोड़ की मुआवजा राशि का संवितरण किया गया था। उसके बाद मुआवजे के तौर पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया। मार्च 2019 तक मुआवजे की ₹3.55 करोड़ की शेष राशि लगभग एक दशक के लिए डीडीओ के बैंक खाते[8] में असंवितरित पड़ी रही और ब्याज को शामिल करते हुए यह संचित शेष ₹5.41 करोड़ था। मुआवजे के असंवितरित रहने के विशेष कारण न तो रिकॉर्ड में दर्ज थे और न ही संबंधित डीडीओ द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए थे। क्योंकि निधियाँ रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी अतः असंवितरित/ अप्रयुक्त निधियों को भारत सरकार को लौटाना अपेक्षित था।

यद्यपि, यह विभाग/ सरकार के ध्यान (फरवरी 2020) में लाया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

2.2.4.2 *कछारी* भूमि के लिए मुआवजा

भूमि जो विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए अधिग्रहित की जानी है, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की गई है:

- सांपत्तिक भूमि,
- राज्य भूमि; और
- *कछारी*[9] *भूमि*

अधिग्रहित भूमि के प्रति मुआवजे का भुगतान केवल सांपत्तिक भूमि से संबंधित भूमि मालिकों को किया जाता है, जबकि *कछारी* भूमि के अधिग्रहण के प्रति लागत का उपयोग उस गांव के, जहाँ से यह भूमि अधिग्रहित की गई है, विकास निर्माण कार्यों जैसे लिंक सड़कों का निर्माण, गलियों/ नालियों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है।

उपायुक्त, अनंतनाग के अभिलेखों (अक्टूबर 2019) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि *कछारी* भूमि की लागत, जैसा कि तालिका 2.2.2 में विवरण दिया गया है, कलेक्टर भूमि अधिग्रहण, लोक निर्माण विभाग के बैंक खाते से हस्तातंरित कर दी गई थी और विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए, वर्ष 2012 से 2017 अवधि के दौरान अपर उपायुक्त (एडीसी), अनंतनाग के भिन्न-भिन्न बैंक खातों में जमा कर दी गई।

---

8 खाता संख्याः 0014040100093667 जेकेबीएल, तहसील परिसर (टीपी), अनंतनाग।

9 *कछारीः* सामान्य चारागाह।

तालिका 2.2.2: अपर उपायुक्त, अनंतनाग द्वारा रखी गयी *कछारी* भूमि की लागत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	परियोजना/ कार्य का नाम	हस्तांरित राशि (₹ करोड़ में)	बैंक खाता संख्या	मार्च 2019 को बैंक खाते में राशि (₹ करोड़ में)	जमा शीर्ष को प्रेषित राशि (₹ करोड़ में)	बैंक खातों में शेष राशि (₹ करोड़ में)
1.	2013	रेलवे अप्रोच रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.38	जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040100093001	13.72	16.40[10]	10.13
	2015		13.70				
2.	अनुपलब्ध	राज्य लोक निर्माण विभाग सड़क	1.32	जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040500000086	2.94		
3.	2016	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड टावर्स किश्तवाड सिमथान अनंतनाग रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन	8.56	जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040500000081	8.34		
4.	2012 से 2017	राष्ट्रीय राजमार्ग	17.31	जेकेबीएल अनंतनाग का 0014040500000083	1.53		
		कुल	**41.27**		**26.53**	**16.40**	**10.13**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख और बैंक विवरण)

जैसा कि तालिका 2.2.2 में दर्शाया गया है, विभागीय गौण कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के बजाय, एडीसी अनंतनाग के बैंक खातों में ₹26.53 करोड़ दो से सात वर्षों के बीच की अवधि के लिए अप्रयुक्त रहे।

लेखापरीक्षा में (अक्टूबर 2019) यह इंगित किए जाने पर, डीडीओ ने जमा शीर्ष (एमएच-8443) में केवल ₹16.40 करोड़ हस्तांतरित (दिसंबर 2019) किए, तथा ₹10.13 करोड़ की शेष राशि बैंक (सितंबर 2020) में पड़ी हुयी है।

2.2.4.3 सरकारी नौकरी के बदले में नकद मुआवजा

नकद मुआवजा नियमावली ने (10 जुलाई 1990) निर्धारित[11] किया कि ₹ एक लाख की अनुग्रह राहत आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई में मारे गये नागरिक के परिवार के सदस्य को तुरंत संवितरित की जानी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने (4 जुलाई 2008) जम्मू-कश्मीर अनुकंपा नियुक्ति नियमावली, 1994 में सरकारी नौकरी के बदले नकद मुआवजे से संबंधित संशोधन निर्धारित[12] किया। संशोधित

[10] टीआर संख्याः 2 दिनांक 03.12.2019: ₹2.99 करोड़ और टीआर संख्याः 3 दिनांक 03.12.2019: ₹13.41 करोड़।

[11] वर्ष 1990 का सरकारी आदेश संख्याः 723-जी(जीएडी) दिनांक 10.07.90

[12] पृष्ठांकन संख्याः जीएडी/एमटीजी/III/3/2007 दिनांक 04.07.2008 के तहत जारी एसआरओ-199 का अवलोकन करें।

नियमों के अनुसार आतंकवाद से संबंधित कार्रवाई में मारे गये नागरिक के परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के बदले ₹ चार लाख के नकद मुआवजे के लिए हकदार होंगे। ₹ चार लाख की मुआवजा राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा हितभागियों के निवास स्थान की निकटतम बैंक शाखा में मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन के नाम पर जमा कराया जाना आवश्यक है, बशर्ते दावेदार सरकारी नौकरी के बदले नकद मुआवजे की स्वीकृति हेतु सहमति प्रस्तुत करें।

उपायुक्त (डीसी), अनंतनाग और डीसी, बारामूला के अभिलेखों की (अक्टूबर/ नवंबर 2019) लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवार के लोगो में से सरकारी नौकरी के बदले नकद मुआवजे के लिए क्रमशः 372 और 111 लोगों द्वारा दावा किया गया था। हालांकि, डीसी अनंतनाग तथा डीसी बारामूला द्वारा केवल क्रमश: 281 मामलों और 84 दावेदारों के संबंध में राशि का संवितरण किया गया। वर्ष 2008-09 से 2017-18 के दौरान डीसी, अनंतनाग द्वारा कोषागार से ₹14.88 करोड़ की राशि का आहरण किया गया था तथा डीडीओ[13] के बैंक खाते में जमा करा दी गयी थी। हालांकि, 91 दावेदारों के लिए आहरित ₹3.64 करोड़ की नकद मुआवजा राशि डीसी, अनंतनाग के बैंक खाते में पड़ी (मार्च 2019) रही। इसी प्रकार, डीसी, बारामूला द्वारा प्रस्तुत (नवंबर 2019) की गयी सूचना के अनुसार, कोषागार से आहरित ₹4.44 करोड़ की नकद मुआवजा राशि में से, मार्च 2019 तक ₹3.36 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसलिए, ₹5.71 करोड़[14] और ₹2.13 करोड़[15] के शेष क्रमशः डीसी अनंतनाग[16] और बारामूला[17] के बैंक खातों में पड़े हुए (मार्च 2019) थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित जमा प्राप्तियां, हितभागियों द्वारा बैंक खाते का नहीं खोला जाना, सरकारी नौकरी के बदले में नकद सहायता की स्वीकृति के लिए दावेदारों द्वारा सहमति प्रस्तुत न करने जैसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण मुआवजा राशि संवितरित नहीं की गई थी।

---

13 जेकेबीएल अनंतनाग का खाता संख्याः 0014040500000021

14 91 दावेदारों से संबंधित आहरित ₹3.64 करोड़ की असंवितरित नकद मुआवजा, राहत के ₹0.94 करोड़ के पिछले असंवितरित भुगतान और ₹1.13 करोड़ का ब्याज शामिल हैं।

15 27 नहीं निपटाये गये मामलों के कारण ₹1.08 करोड़, आत्मसमर्पण किए हुए आतंकवादियों के तीन नहीं निपटाये गये मामलों के कारण ₹0.12 करोड़ और ब्याज के कारण ₹0.93 करोड़ शामिल हैं।

16 जेकेबीएल अनंतनाग का खाता संख्याः 0014040500000021

17 जेकेबीएल बारामूला का खाता संख्याः 0070040500000197

इसलिए, आतंकवादी घटनाओं में मारे गए मृत व्यक्तियों के दावेदार को भुगतान करने के लिए कोषागार से ₹4.72 करोड़ की कुल मुआवजा राशि का आहरण करना और बैंक खातों में लगभग दस वर्षों की अवधि से अधिक के लिए राशियों का प्रतिधारण वित्तीय सांपत्तिक सिद्धांतों के विरूद्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा (अक्टूबर 2019 में) इंगित किए जाने पर डीसी, अनंतनाग ने बैंक खाते में ₹0.94 करोड़ की शेष राशि छोड़कर ₹4.77 करोड़ जमा शीर्ष में हस्तांतरित (नवंबर 2019) किये।

2.2.4.4 भूमि मुआवजे का सरकारी खाते से बाहर प्रतिधारण

वित्त विभाग ने सरकारी खातों से बाहर भूमि अधिग्रहण हेतु निर्गत सरकारी निधियों के प्रतिधारण से बचने और "राजस्व जमा" में राशि को जमा करने के लिए, संबंधित कोषागार को भूमि मुआवजे के लिए बैंक खातों में रोके गये सभी शेषों के हस्तांतरण के लिए निर्देश जारी (फरवरी 2010) किये। भूमि अधिग्रहण के कलेक्टर को सबसे पहले "राजस्व जमाओं" में क्रेडिट करते हुए भूमि मुआवजे की राशि का आहरण करना था तथा बाद में कुछ भागों में या पूर्णरूपेण इसका आहरण करना है, जब कभी भू-स्वामियों को तत्काल संवितरण की आवश्यकता हो। कोषाधिकारी को राजस्व जमा शीर्ष के अंतर्गत इस राशि को जमा करना था और नकद आहरणों से बचना था। बाद में अवॉर्डी (भू-स्वामियों) के पक्ष में बैंक खाता संख्या सहित वाउचर (फॉर्म एफसी-34) के प्रति जमा चुकौती आदेश के रूप में कोषागार के जमा शीर्ष से आहरण किए जाने थे। कोषाधिकारी द्वारा धन का हस्तांतरण डीडीओ के बिल सहित संज्ञापन के आधार पर हितभागियों के बैंक खातों में सीधे ही किया जाना था। इन निर्देशों के उल्लंघन के मामले में त्रुटिकर्त्ता अधिकारियों से ब्याज 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूलनीय था।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2019) से पता चला कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, भूमि मुआवजे के संवितरण हेतु छह डीडीओ[18] द्वारा प्राप्त ₹75.07 करोड़ वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान वर्तमान निर्देशों के उल्लंघन में बैंक खातों में पड़े रहे (***परिशिष्ट 2.2.2***)।

[18] 1. सहायक आयुक्त राजस्व, कारगिल; 2. उपायुक्त, कारगिल; 3. सहायक आयुक्त राजस्व, जम्मू; 4. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट उत्तर, जम्मू; 5. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट दक्षिण, जम्मू; 6. उपायुक्त, रियासी।

अतः, वित्त विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में सरकारी खाते से बाहर बैंक खातों में भूमि मुआवजे की राशि का प्रतिधारण उस आदेश में उल्लिखित नकद प्रवाह सुप्रवाहन की अवधारणा के मूल उद्देश्य को असफल बनाता है। इसके अतिरिक्त, अभी तक आदेशों के उल्लंघन के लिए डीडीओ के प्रति 17 प्रतिशत की दर पर ब्याज की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2.2.4.5 बाढ़ पीडितों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

सितंबर 2014 में बाढ़-पीडितों की विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में डीडीओ द्वारा हितभागियों के विवरण[19] सहित बैंक संज्ञापन जारी होने के पश्चात् प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया गया था। बैंक संज्ञापन में सूचित विवरण के अनुसार हितभागियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रुप से मुआवजा राशि जमा करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2019) से पता चला कि नमूना जांच के लिए चयनित राजस्व विभाग के 58 डीडीओ में से आठ डीडीओ[20] द्वारा बैंक को अधूरा/ गलत विवरण सूचित करने के कारण हितभागियों के बैंक खातों में मुआवजा भुगतानों को जमा नहीं कराया गया था। कुछ मामलों में, हितभागियों को एकमुश्त भुगतान के बदले आंशिक भुगतान किया गया था। परिणास्वरुप, अर्जित ब्याज के अतिरिक्त, इन डीडीओ के बैंक खातों में ₹5.48 करोड़[21] की असंवितरित राशि पड़ी हुई (मार्च 2019) थी।

2.2.4.6 प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा

सीमा पार से गोलीबारी के कारण विस्थापित हुए लोगों सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु समय-समय पर डीडीओ को निधियाँ आबंटित की गई थी। अप्रयुक्त निधियाँ, निधि संस्वीकृत प्राधिकारी को लौटाई जानी अनिवार्य थी।

---

19 हितभागी का नाम, बैंक/ शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि।

20 1. सहायक आयुक्त राजस्व, जम्मू; 2. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट उत्तर, जम्मू; 3. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट दक्षिण, जम्मू; 4. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, नौशेरा; 5. उपायुक्त, रियासी; 6. तहसीलदार, कटरा; 7. तहसीलदार, पौनी; 8. उपायुक्त, बारामूला।

21 सहायक आयुक्त राजस्व, जम्मूः 5 खाते, ₹270.17 लाख; 2. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (उत्तर), जम्मूः 1 खाता, ₹20.72 लाख; 3. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जम्मूः 01 खाता, ₹102.68 लाख; 4 उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, नौशेराः 01 खाता, ₹5.92 लाख; 5. उपायुक्त, रियासीः 01 खाता, ₹89.87 लाख; 6. तहसीलदार, कटराः 01 खाता, ₹13.17 लाख; 7. तहसीलदार, पौनीः 01 खाता, ₹2.23 लाख; 8. उपायुक्त, बारामूलाः 01 खाता, ₹42.88 लाख।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा (फरवरी 2019) से पता चला कि राजस्व विभाग से नमूना इकाइयों में 58 डीडीओ में से चयनित सात डीडीओ में, 31 मार्च 2019 तक इन सात डीडीओ के बैंक खातों में ₹4.28 करोड़ का अप्रयुक्त शेष पड़ा हुआ था, जिसका विवरण तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.2.3: 31 मार्च 2019 तक डीडीओ-वार असंवितरित/ अप्रयुक्त मुआवजा भुगतानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	डीडीओ का नाम	खाता संख्या तथा बैंक की शाखा	राशि
1.	बॉर्डर फायरिंग माइग्रेन्ट्स	तहसीलदार, अखनूर	0024010100000540 जेएण्डके बैंक, मुख्य बाजार, अखनूर में	1.25
2.	क्रोप रिलीफ पैड़ी 2010-11	तहसीलदार, बिश्नाह	0215010200000672 जेएण्डके बैंक, मुख्य बाजार, बिश्नाह में	0.19
3.	राहत 2009	तहसीलदार, आरएस पुरा	0025010200000616 जेएण्डके बैंक, आरएस पुरा	1.18
4.	सूखा राहत	तहसीलदार, सुंदरबनी	0093010200000087 जेएण्डके बैंक, मेन मार्केट, सुंदरबनी	0.19
5.	राहत 2009	तहसीलदार, नौशेरा	0085010200000342 जेएण्डके बैंक, नौशेरा	0.71
6.	राहत	तहसीलदार, रियासी	29040500010325 जेएण्डके बैंक, रियासी	0.66
7.	राहत	सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी	0259040500016637 जेएण्डके बैंक, गुज्जर मार्केट, राजौरी	0.10
		कुल		**4.28**

(*स्रोत: विभागीय अभिलेख तथा बैंक विवरण*)

यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 से पूर्व आबंटित निधियाँ भी आबंटित निधियों की वास्तविक राशि से पूर्व भी इन खातों में उपलब्ध थी। हालांकि, बैंक खातों में ₹4.28 करोड़ के जमा शेष ने यह इंगित किया कि आबंटित निधियों को अभिप्रेत हितभागियों के मध्य पूर्णरूपेण संवितरित नहीं किया गया (मार्च 2019) था।

कार्यालय तहसीलदार नौशेरा की लेखापरीक्षा के दौरान, पाया कि इसने ₹0.71 करोड़ की असंवितरित राशि उपायुक्त, राजौरी को नवंबर 2019 में लौटा दी थी। इसी प्रकार, तहसीलदार, सुंदरबनी ने भी (नवंबर 2019) ₹0.19 करोड़ की असंवितरित राहत राशि लेखापरीक्षा के कहने पर उपायुक्त, राजौरी को लौटा दी थी।

2.2.4.7 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियाँ

(ए) बैंक खातों में शेष का प्रतिधारण

वर्ष 2015 से 2016 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग (एफसी) अधिनिर्णय के अंतर्गत विकास कार्यों के निष्पादन हेतु पंचायतों के बैंक खातों में निधियाँ दो किस्तों में जमा की गयी (फरवरी 2016 से फरवरी 2017 में) थी। योजना के अंतर्गत, खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई निधियों के अनुसार निर्माण कार्यों की योजना बनाना अनिवार्य था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) से पता चला कि 15 खण्ड विकास अधिकारियों (बीडीओ)[22] के मामले में, कार्य योजना में योजनागत कार्यों की अनुमानित लागत वर्ष 2015-16 के लिए आबंटित निधियों से 20 प्रतिशत कम थी। आबंटित निधियों से कम राशि हेतु कार्य योजना की तैयारी व प्रस्तुतीकरण, का परिणाम ₹5.07 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं होने और संबंधित पंचायतों के बैंक खातों में पड़ी रहने के रूप में हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.3*** में वर्णित है।

(बी) निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2019) पाया कि मार्च 2019 तक 34 नमूना आधारित ग्रामीण विकास खण्डों में 2,459 योजनागत कार्यों में से केवल 1,902 कार्यों को ही पूर्ण किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.4*** में वर्णित है। विलंब/ कार्यों के गैर-निष्पादन के कारण 557 विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ₹12.51 करोड़ तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़े रहे।

विभाग यह पहचान करने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है कि क्या ये शेष 14वें वित्त आयोग के निर्मोचनों से संबंधित जीओआई को प्रस्तुत किये गये यूसी में सही तरह से दर्शाये गये हैं, और जीओआई को अविलंब रूप से बकाया शेषों का प्रतिदाय किया गया यदि नहीं तो क्या अनुगामी वर्ष के निर्मोचनों से पहले ही कटौती की जा चुकी है।

[22] 1. बीडीओ, भलवाल; 2. बीडीओ, भोमाग; 3. बीडीओ, कलाकोट; 4. बीडीओ, पंथाल; 5. बीडीओ, वस्सू; 6. बीडीओ, पहलगाम; 7. बीडीओ, चित्तरगुल; 8. बीडीओ, बेरीनाग; 9. बीडीओ, काजीगुंड; 10. बीडीओ, लारनू; 11. बीडीओ, अनंतनाग; 12. बीडीओ, शानगुस; 13. बीडीओ, खोवरी प्रोआ; 14. बीडीओ, शाहबाद और 15. बीडीओ, बोनीयार।

2.2.4.8 कर की सांविधिक कटौतियों के कारण राशि का प्रतिधारण

आयकर नियमावली का नियम 30 उपबंधित करता है कि यदि स्रोत पर आयकर की कटौती चालान सहित नहीं है तो उसी दिन जमा की जाएगी या उस माह के सात दिनों के भीतर जमा की जाएगी जिसमें कटौती की गई है। जम्मू एवं कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 (2) उपबंधित किया कि अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती, उस माह की समाप्ति के उपरांत जिसमें इस प्रकार की कटौती की गयी थी, सरकार को दस दिनों के भीतर जमा करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1998 का नियम 5 उपबंध करता है कि एकत्रित उपकर की राशि ऐसे सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरण या उपकर संग्रहणकर्त्ता द्वारा विहित चालान फार्म सहित इसके एकत्रीकरण से तीस दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित की जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग के डीडीओ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) से पता चला कि श्रमिक उपकर, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, आदि जैसे सांविधिक कर कटौतियों के रूप में संविदाकारों/ मेट्स[23]/ आपूर्तिकर्त्ताओं से ₹20.56 लाख[24] की राशि की कटौतियाँ की गई थी जो 15 बीडीओ द्वारा तीन माह से तीन वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए संबंधित विभागों/ प्राधिकरणों को जमा (मार्च 2019) नहीं कराई गई थी। बीडीओ, भलवाल ने (फरवरी 2020) स्रोत पर कर कटौती का प्रेषण नहीं करने हेतु राज्य कर विभाग को देरी से कर कटौती संख्या जारी करने और संविदाकारों/ मेट्स द्वारा जीएसटी संख्या नहीं बताने को जिम्मेदार ठहराया।

---

[23] ग्रामीण विकास विभाग में निर्माण कार्यों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और श्रम के आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है।

[24] 1. बीडीओ, भलवालः ₹3.61 लाख; 2. बीडीओ, कलाकोटः ₹1.59 लाख; 3. बीडीओ, मायरा मैंद्रियानः ₹0.57 लाख; 4. बीडीओ, रियासीः ₹0.04 लाख; 5. बीडीओ, थानामंडीः ₹1.19 लाख; 6. बीडीओ, शंगसः ₹0.95 लाख; 7. बीडीओ, चत्तरगुलः ₹1.26 लाख; 8. बीडीओ, वेरीनागः ₹1.05 लाख; 9. बीडीओ, पहलगामः ₹2.78 लाख; 10. बीडीओ, ब्रेंगः ₹2.56 लाख; 11. बीडीओ, लारनूः ₹2.25 लाख; 12. बीडीओ, संग्रामाः ₹0.50 लाख; 13. बीडीओ, रोहामाः ₹0.61 लाख; 14. बीडीओ, टंगमर्गः ₹0.06 लाख; 15. बीडीओ, डुंगीः ₹1.54 लाख।

उनके उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सांविधिक कटौती के कारण काटी गई राशि का सरकार के खाते में प्रेषण नहीं करना निर्धारित नियमों के विरुद्ध था तथा इन बीडीओ के बैंक खातों में शेष के संचय का कारण बना।

2.2.4.9 उपायुक्त, रियासी द्वारा निधियों का प्रतिधारण

फरवरी/ मार्च 2015 के महीनों के दौरान, मूसलाधार बारिश/ ओलावृष्टि होने के कारण आवश्यक बचाव, राहत तथा पुनर्वास कार्यों को आरंभ करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू ने उपायुक्त (डीसी), रियासी को ₹1.50 करोड़[25] निर्गत किए। हालांकि, डीसी, रियासी (अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2015) ने नवंबर 2015 के दौरान केवल ₹1.35 करोड़[26] (90 प्रतिशत) तीन तहसीलदारों को उन किसानों को देने के लिए निर्गत किए जिनकी 2015 की रबी मौसम की फसल भारी बारिश के कारण नष्ट हो गई थी। डीसी रियासी ने बिना किसी अभिलेखबद्ध कारण के शेष ₹15 लाख की राशि रोके रखी। यह राशि 42 महीनों (नवंबर 2015 से अप्रैल 2019 तक) की अवधि के लिए बैंक खाते[27] में अप्रयुक्त पड़ी (अप्रैल 2019) रही।

2.2.4.10 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में व्यय का अधिक विवरण

भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 के अनुसार, डीडीओ संबंधित प्रशासनिक विभागों को भारत सरकार से प्राप्त निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करते हैं। डीडीओ द्वारा प्रस्तुत यूसी के आधार पर, प्रशासनिक विभाग समेकित यूसी भारत सरकार को प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा ने तीन डीडीओ के लेन-देन की संवीक्षा (अगस्त 2019) की जिन्हें भारत सरकार द्वारा निधियाँ निर्गत की गई थी। उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अनुसार, इन डीडीओ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में प्रस्तुत किये गये व्यय के आँकड़े किए गए वास्तविक व्यय से अधिक थे। तालिका 2.2.4 में वर्णित विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)/ राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ)/ लोक सभा चुनावों से संबंधित डीडीओ द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में ₹2.48 करोड़ के व्यय का अधिक विवरण देखा गया।

---

[25] अप्रैल 2015: ₹0.50 करोड़; अक्टूबर 2015: ₹1.00 करोड़।

[26] तसीलदार, कटराः ₹0.45 करोड़; तहसीलदार, रियासीः ₹0.45 करोड़ और तहसीलदार, पौनीः ₹0.45 करोड़।

[27] जम्मू एवं कश्मीर बैंक, रियासी का खाता संख्याः 0029040500020099

तालिका 2.2.4: 31 मार्च 2019 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में वर्णित अधिक राशियों का उदाहरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	डीडीओ का नाम	कोषागार से आहरित निधियाँ	मार्च 2019 के अंत में राशि का संवितरण	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत	यूसी में व्यय का अधिक विवरण
1	2	3	4	5	6	7=6-5
1.	पीएमडीपी	उपायुक्त, रियासी	29.16[28]	29.02	29.13	0.11
2.	राहत 2014	सहायक आयुक्त, राजस्व (सामान्य) जम्मू	2.17	1.93	2.17	0.24
	पीएमडीपी		62.03	60.21	62.03	1.82
3.	2013-14 के लोकसभा/ विधानसभा चुनाव	मुख्य योजना अधिकारी (डीसी, जम्मू)	2.86	2.55	2.86	0.31
		कुल	**96.22**	**93.71**	**96.19**	**2.48**

(स्त्रोत: विभागीय अभिलेख तथा बैंक विवरण)

यूसी में ₹2.48 करोड़ के व्यय का अधिक विवरण, भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212 के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा विशेषतः जब बैंक खाते में धनराशि रखी हो तो कपटपूर्ण आहरण का खतरा अधिक बढ जाता है।

2.2.4.11 बंद/ प्रतिस्थापित योजनाएं

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), जो कि एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, को वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रुप में पुनर्गठित किया गया था। ब्लॉक स्तर पर हितभागियों को आर्थिक सहायता संवितरित करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) अपनाते हुए केंद्रीय भुगतान संवितरण व्यवस्था में बदला गया था। लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2019) पाया कि ग्रामीण विकास विभाग के 17 डीडीओ ने 2016-17 में योजना के बंद होने के बाद भी ₹1.32 करोड़[29] की आईएवाई अव्यतित निधियाँ 22 बैंक खातों में ही रखीं, जो कि आवासों को पूर्ण करने

---

[28] ₹2,934.15 लाख के प्रति कोषागार से केवल ₹2,916.05 लाख आहारित किए गए हैं।

[29] 1. सहायक आयुक्त विकास (एसीडी) जम्मू: 01 खाता, ₹7.92 लाख; 2. एसीडी, राजौरीः 02 खाते, ₹2.87 लाख; 3. बीडीओ, मायरा मैंद्रियानः 02 खाते, ₹0.54 लाख; 4. बीडीओ, अचाबलः 01 खाता, ₹0.01 लाख; 5. बीडीओ, ब्रेंगः 02 खाते, ₹0.391 लाख; 6. बीडीओ, शंगुसः 01 खाता, ₹7.32 लाख; 7. बीडीओ, अनंतनागः 02 खाते, ₹ 98.68 लाख; 8. बीडीओ, बिजबेहराः 01 खाता, ₹0.13 लाख; 9. एसीडी, कारगिलः 02 खाते, ₹2.58 लाख; 10. बीडीओ, कारगिलः 01 खाता, ₹0.23 लाख; 11. बीडीओ, टीएसजी तेसपुलः 01 खाता, ₹0.007 लाख; 12. बीडीओ, पहलगामः 01 खाता, ₹0.07 लाख; 13. बीडीओ, दछनीपोराः 01 खाता, ₹0.21 लाख; 14. एसीडी, बारामूलाः 01 खाता, ₹9.35 लाख; 15. बीडीओ, संकूः 01 खाता, ₹1.08 लाख; 16. बीडीओ, पश्कुमः 01 खाता, ₹0.04 लाख; 17. बीडीओ, कुंजेरः 01 खाता, ₹0.09 लाख।

के लिए विद्यमान हितभागियों के मध्य अव्ययित राशि का नियतन करते हुए योजना के अंतर्गत प्रयुक्त की जानी आवश्यक थी।

विभाग को आईएवाई के अंतर्गत आवास कार्य समापन हेतु अपूर्ण घरों के वित्त पोषण द्वारा बैंक खातों में शेषों का परिसमापन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आईएवाई के तहत अपूर्ण घरों के कार्य समापन हेतु निधियों की गैर-आवश्यकता की स्थिति में, पीएमएवाई के अंतर्गत इसका उपयोग किया जा सकता है या जीओआई को सुपुर्द किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

2.2.5 जेकेबीएल के अलावा बैंक खाते

जेएण्डके वित्तीय संहिता खण्ड-I का नियम 2-33 इस बात का उपबंध करता है कि जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से किसी कानून या नियम या कानूनी प्रभाव वाले आदेश द्वारा प्राधिकृत न हो तब तक सरकार की अनुमति के बिना धन अन्यत्र निवेश या जमा करने हेतु लोक लेखा से निकाला नहीं जा सकता है। हालांकि, जहाँ एक पृथक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है, वहाँ जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड के कार्यालय में खाता खोला जाएगा और जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो डाक घर बचत बैंक में या वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से किसी बैंक में खाते खोले जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2019) पाया कि तीन विभागों में, 44 डीडीओ ने 182 बैंक खाते वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना जेकेबीएल के अलावा अन्य दूसरे बैंको में खोले गये हैं। तालिका 2.2.5 में स्थिति-वार विवरण दिया गया है:

तालिका 2.2.5: जेएण्डके बैंक के अलावा अन्य बैंकों में खोले गये विभाग-वार बैंक खाते

क्र.सं.	विभाग	निजी बैंक में खोले गए खाते		राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते		कुल	
		डीडीओ	खाते	डीडीओ	खाते	डीडीओ	खाते
1.	राजस्व	11	17	01	01	12	18
2.	लोक निर्माण	01	01	00	00	01	01
3.	ग्रामीण विकास	29	150	02	13	31	163
	कुल	**41**	**168**	**03**	**14**	**44**	**182**

(स्रोतः संबंधित डीडीओ द्वारा उपलब्ध सूचना)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 41 डीडीओ ने निजी बैंकों में 168 बैंक खाते खुलवाए थे।

2.2.6 बैंक खातों के सुव्यवस्थीकरण तथा समेकन पर अनुदेशों का अननुपालन

वित्त विभाग द्वारा 09 दिसंबर 2016 को जारी सरकारी अनुदेशों के अनुरुप सभी डीडीओ को निर्देश दिया गया था किः

- सभी सरकारी बैंक खाते, जिनमें शून्य शेष था तथा दो वर्ष से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती हैं, बंद किये जायेंगे;
- डीडीओ के सभी सरकारी बैंक खाते जो दो वर्षों से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे और सकारात्मक शेष रखते थे, बंद किये जायेंगे तथा जमा शेष को वित्त सचिव[30] के आधिकारिक खाते में हस्तांतरित किया जाना था;
- सभी सरकारी खातों के नकद शेष, जो एक वर्ष से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, बिना बैंक खाते को बंद किए वित्त सचिव के आधिकारिक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे; तथा
- वित्त विभाग की सहमति के बिना, सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई भी नया बैंक खाता जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत/ अधिसूचित बैंक में नहीं खोला जाएगा।

लेखापरीक्षा में इन निर्देशों की अननुपालना देखी गयी क्योंकि दो डीडीओ[31] के सात खातों में जमा शेष 'शून्य' था, जो दिसंबर 2016 तक दो वर्षों की अवधि से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, तथा तक ये बंद (मार्च 2019) नहीं किए गए थे। इसी तरह 12 डीडीओ[32] के 21 बैंक खाते, जो दिसंबर 2016 तक दो वर्षों से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती थे, बंद नहीं किए गए थे और ₹3.48 करोड़ का जमा शेष (मार्च 2019) वित्त सचिव, के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था। पाँच डीडीओ[33] के पांच बैंक खातों में ₹4.39 करोड़ का जमा शेष, जो 09 दिसंबर 2016

---

30 खाता संख्याः 0110010200000852

31 खण्ड विकास अधिकारी, मठवारः 3 खाते; सहायक राजस्व आयुक्त, जम्मूः 04 खाते।

32 1. तहसीलदार, कुंजेरः 01 खाता, ₹0.97 लाख; 2. तहसीलदार, टंगमार्गः 05 खाते, ₹0.60 लाख; 3. तहसीलदार, सोपोरः 03 खाते, ₹3.26 लाख; 4. तहसीलदार, बारामूलाः 01 खाता, ₹14.90 लाख; 5. तहसीलदार, अनंतनागः 01 खाता, ₹0.001 लाख; 6. तहसीलदार समेकन, अनंतनागः 02 खाते, ₹0.78 लाख; 7. तहसीलदार, दूरूः 01 खाता, ₹3.01 लाख; 8. तहसीलदार, पहलगामः 01 खाता, ₹0.007 लाख; 9. तहसीलदार, काजीगुंडः 01 खाता, ₹0.10 लाख; 10. सहायक आयुक्त (रेन्टल), जम्मूः 02 खाते, ₹0.68 लाख; 11. तहसीलदार, अखनूरः 01 खाता, ₹125.11 लाख; 12. तहसीलदार, नौशेराः 02 खाते, ₹198.99 लाख।

33 1. उपायुक्त, बारामूलाः 01 खाता, ₹126.98 लाख; 2. सहायक आयुक्त (राजस्व), बारामूलाः 01 खाता, ₹114.00 लाख; 3. एसडीएम, उत्तरी जम्मूः 01 खाता, ₹0.02 लाख; 4. तहसीलदार, बिशनाहः 01 खाता, ₹18.83 लाख 5. तहसीलदार, अरनियाः 01 खाता, ₹178.75 लाख।

को एक वर्ष से भी अधिक के लिए अप्रवर्ती था, संबंधित डीडीओ द्वारा 31 मार्च 2019 तक वित्त सचिव के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि वित्त विभाग की सहमति के बिना 09 दिसंबर 2016 के बाद भी 21 डीडीओ[34] में 40 बैंक खाते खोले गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा (जुलाई 2019) अनुदेशों की अननुपालना ध्यान में लाने के बाद डीसी, बारामूला ने (अक्टूबर 2019) दो बैंक खातों से संबंधित ₹2.43 करोड़ की शेष जमा राशि को वित्त सचिव के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया।

2.2.7 निष्कर्ष

बैंक खातों के समेकन और सुव्यवस्थीकरण पर दिसंबर 2016 को जारी सरकारी अनुदेशों का पालन नहीं किया गया। गैर-परिचालन वाले बैंक खाते बंद नहीं किए गए थे और उनमें जमा शेष को**,** जैसा कि अनिवार्य था, वित्त सचिव के आधिकारिक बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया था। बैंक खातों के समेकन तथा सुव्यवस्थीकरण ने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया क्योंकि अवधि के दौरान, व्यतिरिक्त बैंक खातों से केवल ₹64.10 करोड़ की ही मामूली राशि हस्तांतरित की गयी थी। वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान चयनित तीन सरकारी विभागों के 131 डीडीओ के 1,138 बैंक खातों के संचित शेष में ₹116.41 करोड़ से ₹399.94 करोड़ की वास्तविक वृद्धि हुई। संचित शेष में वृद्धि राहत निधियों के असंवितरित रहने/ आतंकवाद से पीड़ितों को मुआवजा, प्राकृतिक आपदाओं, अनुचित योजना बनाने तथा योजनाओं के पूर्ण न होने, निधियों के प्रतिधारण, सांविधिक कटौतियों तथा सरकारी खाते से बाहर भूमि मुआवजे आदि के प्रतिधारण के कारण थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में व्यय से अधिक विवरण के उदाहरण भी पाये गये तथा निजी बैंकों में 168 खाते खोले गए थे जो कि जेएण्डके वित्तीय संहिता नियमावली का उल्लंघन था।

---

[34] 1. सहायक आयुक्त विकास, जम्मू: 01 खाता; 2. उपायुक्त, रियासी: 01 खाता; 3. खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ), भलवाल: 01 खाता; 4. बीडीओ, मठवार: 01 खाता; 5. बीडीओ, मंजाकोट: 01 खाता; 6. बीडीओ, डूंगी: 01 खाता; 7. अपर उपायुक्त, कलाकोट: 02 खाते; 8. कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) डिवीजन-III, जम्मू: 02 खाते; 9. बीडीओ, अखनूर: 02 खाते; 10. बीडीओ, कटरा: 04 खाते; 11. बीडीओ, खौर: 01 खाता; 12. बीडीओ, खराबली: 02 खाते; 13. बीडीओ, लंबेरी: 01 खाता; 14. बीडीओ, सांवन: 01 खाता; 15. बीडीओ, सिओट: 13 खाते; 16. बीडीओ, सुंदरबनी: 01 खाता; 17. कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) डिवीजन, राजौरी: 01 खाता; 18. एसडीएम, नौशेरा: 01 खाता; 19. एसडीएम, उत्तरी जम्मू: 01 खाता; 20. डीपीओ, जम्मू: 01 खाता; 21. डीपीओ, राजौरी: 01 खाता।

2.2.8 अनुशंसाएं

विभाग यह सुनिश्चित करे कि:

- *बैंक खातों में निधियों के प्रतिधारण के सुव्यवस्थीकरण हेतु जारी सरकारी अनुदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।*
- *प्रभावी निगरानी तंत्र बनाया जाए ताकि डीडीओ द्वारा तुरंत संवितरण के पूर्वानुमान में कोषागार से बैंक खातों में अवितरित शेष संचय से बचने के लिए निधियाँ आहरित नहीं की जा सकें।*
- *जब भी डीडीओ द्वारा बैंक खाता खोला जाना आवश्यक हो, वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके जेकेबीएल में खोला जाए।*

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था। उनके उत्तर (सितंबर 2020) प्रतीक्षित थे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

2.3 देय राशि का गैर-संग्रहण/ कम प्रेषण

वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की 11 नमूना जांच की गयी इकाइयों में उपभोक्ताओं को 1,30,121 मुद्रित राशन कार्डों का वितरण नहीं होने के कारण ₹1.07 करोड़ के गैर-संग्रहण के साथ-साथ सरकारी खाते में ₹1.69 करोड़ के कम प्रेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग (एफसीएसएण्डसीए), जम्मू ने जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (जेकेबीएल) के संयुक्त तत्वाधान में 2011 की जनगणना के आधार पर हितभागियों के मध्य वितरित किए जाने वाले 15.35 लाख राशन कार्डों के मुद्रण हेतु आदेश (2015-16 से) दिया। मुद्रित राशन कार्डों की लागत को एफसीएसएण्डसीए विभाग और जेकेबीएल द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाना था। ये मुद्रित राशन कार्ड उपभोक्ताओं[35] को निधारित दरों[36] पर वितरित किए

[35] परिवार प्राथमिकता (पीएचएच) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) पीएचएच गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल-अन्य) तथा गैर-परिवार प्राथमिकता (एनपीएचएच) गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)/ अपवर्जन (गैर-राशन उद्देश्य हेतु)।

[36] पीएचएच (एएवाई), (बीपीएल-अन्य) तथा गैर-पीएचएच (एपीएल)/ क्रमशः ₹30, ₹75 तथा ₹100 की प्रति दर से प्रत्येक राशन कार्ड उपभोक्ताओं का अपवर्जन।

जाने थे। विभाग ने जेकेबीएल को मुद्रित लागत[37] के रूप में ₹1.82 करोड़ निर्गत किये।

नवंबर 2017 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान 11 नमूना जांच की गयी क्षेत्र इकाइयों[38] (एफसीएसएण्डसीए के सहायक निदेशकों) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपभोक्ताओं को वितरण के लिए एफसीएसएण्डसीए निदेशालय से इकाइयों द्वारा कुल 9,94,204 राशन कार्ड[39] प्राप्त किये गये थे। हालांकि, केवल 8,64,083 राशन कार्ड[40] ही जारी किये गये थे तथा शेष 1,30,121 कार्ड[41] जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3.1 (ए)*** में वर्णित है, संबंधित सहायक निदेशकों के पास ही पड़े हुए थे। राशन कार्डों के वितरण नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ का गैर-संग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को वितरित किए गए 8,64,083 राशन कार्डों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार, ₹7.02 करोड़[42] की बिक्री प्राप्तियाँ वसूल की जानी थी। हालांकि, ₹5.33 करोड़ ही सरकारी खाते में प्रेषित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.69 करोड़ का कम संग्रहण/ कम प्रेषण हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3.1 (बी)*** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने के उपरांत, मुख्य लेखा अधिकारी, एफसीएसएण्डसीए विभाग, जम्मू ने (जनवरी 2018) कहा कि राशन कार्ड अधिकतम संख्या में जारी किये गये थे। आगे यह भी कहा गया कि पूर्व में राशन कार्ड इसलिए जारी नहीं किये जा सके क्योंकि सरकार द्वारा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को

---

37 ₹3.03 करोड़ की कुल लागत का 60 प्रतिशत (2018 के दौरान 0.49 लाख के मुद्रित राशन कार्डों के अलावा)।

38 1. सिटी सर्किल-I, जम्मू (नवंबर 2017); 2. कठुआ (फरवरी 2018); 3. रियासी: (सितंबर 2018); 4. ग्रामीण-II (अप्रैल 2019); 5. रामबन (अक्टूबर 2019); 6. पुंछ (मई 2019); 7. किश्तवाड (जनवरी 2019); 8. सांबा (अगस्त 2019); 9. राजौरी (फरवरी 2020); 10. ग्रामीण-I (जनवरी 2020) तथा 11. डोडा (फरवरी 2020)। लेखापरीक्षा ने मार्च 2017, मार्च 2018 और मार्च 2019 की अवधि की समाप्ति पर इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान टिप्पणियाँ पायीं और स्थिति को समय-समय पर अद्यतित किया गया है।

39 गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: 3,98,423; पीएचएच (बीपीएल-अन्य): 5,17,791 तथा पीएचएच (एएवाई): 77,990

40 गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: 3,41,072; पीएचएच (बीपीएल-अन्य) 4,55,184 तथा पीएचएच (एएवाई): 67,827

41 गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: 57,351; पीएचएच (बीपीएल-अन्य): 62,607 तथा पीएचएच (एएवाई): 10,163

42 गैर-पीएचएच (एपीएल)/ अपवर्जन: ₹3.41 करोड़; पीएचएच (बीपीएल-अन्य): ₹3.41 करोड़ तथा पीएचएच (एएवाई): ₹0.20 करोड़।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पात्र हितभागियों की पहचान हेतु नामित किया गया था। सत्यापन/ पहचान सूचियाँ समय पर प्राप्त नहीं हुई थी जिसका परिणाम राशन कार्डों के वितरण में देरी के रूप में हुआ। सहायक निदेशकों, (रियासी/ किश्तवाड/ ग्रामीण II, जम्मू/ पुंछ तथा डोडा) ने कहा (अक्टूबर 2018/ जनवरी/ अप्रैल/ मई 2019/ फावरी 2020) कि सभी तहसील आपूर्ति अधिकारियों को शेष राशन कार्डों को हितभागियों को जारी करने और लंबित राशि को प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। सहायक निदेशक, सांबा (अगस्त 2019) ने गैर-वितरण के कारणों के लिए राशन कार्ड डिजिटाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया जिसके परिणामस्वरूप हितभागियों ने मुद्रित कार्डों को प्राप्त नहीं किया था। सहायक निदेशक, ग्रामीण-I (जनवरी 2020) ने कहा कि शेष राशन कार्डों को शीघ्र ही वितरित किया जाएगा।

हालांकि**,** तथ्य यह रहता है कि मुद्रित और अवितरित राशन कार्ड अभी तक सहायक निदेशकों के पास ही पड़े हुए हैं। 7,348 राशन कार्डों की 2015 से 2025 तक की वैधता के अपवाद सहित, राशन कार्डों की वैधता जून 2018 तक थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटाइजेशन की दृष्टि से भविष्य में इन राशन कार्डों के उपयोग की संभावना बहुत ही कम है और अब वे व्यतिरिक्त हो गए हैं।

इस प्रकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की 11 नमूना जांच की गई इकाइयों में वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को 1,30,121 मुद्रित राशन कार्ड वितरित नहीं होने के कारण सरकारी राजस्व के प्रति ₹1.07 करोड़ की वसूली नहीं हुयी। इसके अतिरिक्त, राशन कार्डों को जारी करने से संग्रहित ₹1.69 करोड़ का कम संग्रहण/ कम प्रेषण हुआ था।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

विभाग को भविष्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्रित राशन कार्ड अविलंब रूप से जारी किये जा रहे हैं जिससे लागत की वसूली मानदण्डों के अनुसार की जा सके। सभी इकाइयों के लिए राशि को संग्रहित कर और अविलंब रूप से सरकारी खाते में प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

गृह विभाग

2.4 गैर-प्रकार्यात्मक सौर विद्युत संयंत्रों के कारण निष्फल व्यय

राज्य कर विभाग के साथ कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी) भुगतान के निपटान नहीं होने के कारण, मई 2014 से जनवरी 2015 के मध्य ₹9.70 करोड़ का व्यय करने और रखरखाव की मुफ्त वारंटी उपलब्ध होने के बावजूद, सितंबर 2014 से पुलिस प्रतिष्ठानों में संस्थापित 128 सौर विद्युत संयंत्र गैर-प्रकार्यात्मक बने रहे।

राज्य में पुलिस प्रतिष्ठानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा 523 स्थानों पर सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए ₹37.94 करोड़ का प्रस्ताव[43] राज्य सरकार को (25 अगस्त 2011) अनुमोदन और आगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई), मंत्रालय भारत सरकार (जीओआई) को भेजने के लिए प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि विभाग द्वारा कहा गया, केवल दो दिनों के बाद, अतिरिक्त 25 स्थानों (जिला पुलिस कार्यालयों) को शामिल करते हुए ₹43.31 करोड़ के कुल वित्तीय निहितार्थ के साथ एक पुन: निर्मित प्रस्ताव[44] (27 अगस्त 2011) प्रस्तुत किया गया था।

जीओआई ने केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के अंतर्गत, ₹37.94 करोड़ की अनंतिम लागत पर जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) पुलिस के प्रतिष्ठानों में 1,408.6 केडब्ल्यूपी की कुल क्षमता के साथ 523 सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों (एसपीपी) के संस्थापन के लिए ₹33.54 करोड़ संस्वीकृत (फरवरी 2012) किये।

इसी दौरान, राज्य स्तरीय खरीद समिति (एसएलपीसी) की अनुशंसा (मार्च 2012) के अनुरूप, परियोजना के लिए अप्रैल 2012 में एक निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी करने का निर्णय लिया गया था। छोड़े गए 25 जिला पुलिस कार्यालयों, 04 पुलिस स्टेशनों और 10 पुलिस चौकियों को शामिल करके व स्थानों की कुल संख्या को 562 तक लाने के लिए आवश्यक 523 स्थानों की पुनः गणना की गयी और इसे 25 अप्रैल 2012 को जारी एनआईटी में विधिवत् रूप से दर्शाया गया। एल1 बोलीदाता ने परियोजना के लिए ₹36.14 करोड़ (करों सहित) का मूल्य उद्धृत किया। 562 स्थानों के लिए विभिन्न क्षमताओं (समेकित 1553.76 केडब्ल्यूपी) के सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण, कमीशनिंग और अनुरक्षण के लिए संविदा (मार्च 2013) एल1 फर्म को ₹36.14 करोड़ के लिए इस

[43] पत्र व्यवहार सं. पीआरओवी-II/ईएलईसीटी-26/10-11/39524-26 दिनांक 25.08.2011 के अनुसार।

[44] पत्र व्यवहार सं. पीआरओवी-II/ईएलईसीटी-26/10-11/40013-16 दिनांक 27.08.2011 के अनुसार।

आधार पर प्रदान की गयी थी कि एल1 फर्म द्वारा उद्धृत मूल्य ₹37.94 करोड़ के अनुमोदित बजट के अंदर था।

जैसा कि एनआईटी के उपबंध 16 में उल्लिखित था, जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) सेवा कर तथा मूल्य वर्धित कर (वीएटी) इस संविदा पर लागू नहीं होना था और यदि राज्य कर विभाग द्वारा प्रभारित किया जाता है, तो उसका अतिरिक्त भुगतान पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा।

एसपीपी की सुपुर्दगी, संस्थापन और कमीशनिंग आपूर्ति आदेश देने की तिथि से छह महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। आपूर्ति आदेश के निबंधन और शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता एसपीपी के लिए पांच साल की मुफ्त वारंटी, सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) मॉड्यूल्स के लिए दस साल की विद्युत उत्पादन वारंटी और एसपीवी मॉड्यूल्स के लिए 20 साल की प्रतिस्थापन गारंटी हेतु उत्तरदायी था।

इस योजना के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को ₹243 प्रति वाट का सीएफए या संस्वीकृत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत जो भी कम हो, उपलब्ध कराना था। इसलिए, एमएनआरई, जीओआई ने परियोजना की निविदा लागत के आधार पर सीएफए को ₹29.43 करोड़ तक कम (जून 2013) कर दिया। जीओआई द्वारा जून 2013 में राज्य सरकार को ₹14.71 करोड़ की राशि, सीएफए के 50 प्रतिशत की पहली किस्त निर्गत की जिसमें से ₹14.39 करोड़ की राशि संस्थापित 252 एसपीपी में से 187 के भुगतान के प्रति मई 2014 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान दी गयी थी। इन 252 एसपीपी के संस्थापन के पश्चात्, 163 एसपीपी गैर-प्रकार्यात्मक पाये गये, जिनमें वे 128 एसपीपी शामिल थे जिनके लिए ₹9.70 करोड़ का भुगतान किया गया था।

आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संस्थापित एसपीपी की स्थिति, विभाग द्वारा निर्गत (दिसंबर 2016) भुगतान और गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी तालिका 2.4.1 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 2.4.1: मई 2014 से जनवरी 2015 के दौरान संस्थापित एसपीपी और किए गए भुगतान की स्थिति

संस्थापित एसपीपी	एसपीपी जिनके लिए भुगतान किया गया		गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी	गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी जहां भुगतान निर्गत किया गया	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
252	187	14.39	163	128	9.70

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

विभाग ने संस्थापित 163 एसपीपी में आई खामियों को दूर करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता को निर्देश (अगस्त 2015) दिया। आपूर्तिकर्त्ता ने विभाग को सूचित (अगस्त 2015) किया कि इन एसपीपी की पुरानी विद्युत कंडीशनिंग इकाई की मरम्मत के बजाय, नई विद्युत कंडीशनिंग इकाइयों को जम्मू एवं कश्मीर के लिए भेजा गया था। सामग्री को, हालांकि, बिक्री कर विभाग द्वारा कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी) जमा नहीं करने के आधार पर रोका गया था। विभाग ने मामले को सरकार के साथ या तो 10.50 प्रतिशत की दर से डब्ल्यूसीटी के कारण ₹3.80 करोड़ की राशि निर्गत करने या इस प्रकार के कर की छूट के लिए (फरवरी 2015 से मई 2018) उठाया।

पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जम्मू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2017) से पता चला कि डब्ल्यूसीटी से संबंधित मामला, हालांकि, पांच वर्षों से अधिक के बीत जाने के बाद भी हल नहीं किया गया है और 128 एसपीपी गैर-प्रकार्यात्मक रहे हैं जिनके लिए जनवरी 2015 तक ₹9.70 करोड़ का भुगतान किया गया था।

पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जम्मू ने उत्तर में (जून 2020) कहा कि गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी की मरम्मत नहीं की जा सकी क्योंकि डब्ल्यूसीटी का भुगतान न करने के कारण वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अतिरिक्त कलपुर्जे जब्त कर लिए गये थे। विभाग ने कहा कि जैसे ही सरकार डब्ल्यूसीटी की राशि निर्गत करेगी या उसमें छूट देगी, सभी मामलों का समाधान कर लिया जाएगा।

इस प्रकार, बिक्री कर विभाग के साथ डब्ल्यूसीटी के भुगतान संबंधी मामले के निपटान और प्रभावी ढंग से समन्वयन करने में विभाग की विफलता ने फर्म द्वारा भेजे गए अतिरिक्त कलपुर्जों को जब्त करने का मार्ग प्रशस्त किया जिसका परिणाम गैर-प्रकार्यात्मक एसपीपी के रूप में हुआ। परिणामस्वरूप, इन 128 एसपीपी के संस्थापन हेतु ₹9.70 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, 128 एसपीपी के संस्थापन और कमीशनिंग के लाभ नहीं उठाये जा सके।

मामले की सूचना सरकार (मई 2020) को दी गयी थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) है।

कार्य अनुबंध कर के भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और निष्क्रिय एसएसपी में कमियों के सुधार को अविलंब रूप से किये जाने की आवश्यकता है, जिससे एसएसपी में किये गये निवेश का लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाए।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग

2.5 जल भण्डारण टैंकों पर निष्फल व्यय

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण और वन विभाग/ रक्षा प्राधिकरण से पूर्व निर्बाधता प्राप्त किए बिना जल भण्डारण टैंकों पर कार्य के निष्पादन को आरंभ करने का परिणाम ₹3.67 करोड़ के निष्फल व्यय के रूप में हुआ।

हंदवाड़ा और कुपवाड़ा तहसील में कृषिगत गतिविधियों हेतु किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, कार्यपालक अभियंता (ईई), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आईएण्डएफसी) प्रभाग, हंदवाड़ा ने वर्ष 2013 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत, ₹26.42 करोड़[45] की अनुमानित लागत पर ब्रिनयाल रजवाड़, नतनुस्सा कांडी एवं रजवाड़ में 27 भण्डारण टैंकों का निर्माण शामिल करते हुए तीन परियोजनायें प्रस्तावित की। निर्माण कार्यों के समापन की निर्धारित अवधि परियोजना की संस्वीकृति की तिथि से दो वर्षों तक थी।

मार्च 2019 तक भण्डारण टैंकों के कार्य की स्थिति तालिका 2.5.1 में दी गई है।

तालिका 2.5.1: मार्च 2019 तक भण्डारण टैंकों के कार्य की स्थिति

(₹ करोड़ में)

भण्डारण टैंकों का विवरण	प्रस्तावित भण्डारण टैंको की संख्या	क्रियान्वयन के लिए भण्डारण टैंकों को नहीं लिया गया		क्रियान्वयन के लिए भण्डारण टैंको को लिया गया			भण्डारण टैंक जो प्रकार्यात्मक हैं		भण्डारण टैंक जो प्रकार्यात्मक नहीं हैं	
		सं.	अनुमानित लागत	सं.	अनुमानित लागत	किया गया व्यय	पूर्ण रूपेण	आंशिक रूप से	सं	किया गया व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (2-3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
वन/ निजी भूमि की आवश्यकता वाले भण्डारण टैंक	16	7	6.21	9	11.49	3.37	0	2	7	3.04
वन/ निजी भूमि की अनावश्यकता वाले भण्डारण टैंक	11	1	0.92	10	7.80	3.06	1	6	3	0.63
कुल	**27**	**8**	**7.13**	**19**	**19.29**	**6.43**	**1**	**8**	**10**	**3.67**

(स्त्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना)

[45] ₹11.08 करोड़ की अनुमानित लागत पर नतनुस्साकांडी में 13 टैंक; ₹10.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर रजवाड़ में 13 टैंक और ₹4.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर रजवाड़ में एक ब्रिनयाल टैंक।

जैसा कि तालिका 2.5.1 से देखा जा सकता है, कुल 27 भण्डारण टैंकों में से 11 में निजी/ वन भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं थी और निर्मित किए जाने वाले 27 भण्डारण टैंकों में से केवल एक पूरी तरह प्रकार्यात्मक (मार्च 2019) था। वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान ₹9.90 करोड़[46] की राशि निर्गत की गई थी और डिवीजन ने मार्च 2019 तक ₹6.43 करोड़[47] का व्यय किया था।

अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2017) से पता चला कि ₹9.90 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद, ₹3.47 करोड़ (कुल आबंटन का 35 प्रतिशत) की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरक्त, 27 भण्डारण टैंकों में से केवल एक भण्डारण टैंक को पूरा किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5.1*** में विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि तालिका 2.5.1 में इंगित किया गया, 16 भण्डारण टैंक जो कुल 41.05 हेक्टेयर[48] निजी/ वन भूमि की आवश्यकता सहित निर्माण किये जाने के लिए प्रस्तावित थे, में से नौ भण्डारण टैंकों को वन विभाग से निर्बाधता या इन निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिए निजी (जुलाई 2019) भूमि अधिग्रहित किए बिना निर्माण हेतु लिया गया था। इन नौ भण्डारण टैंकों पर वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान ₹3.37 करोड़ का व्यय किया गया था।

जहाँ तक निजी/ वन भूमि के 35.15 हेक्टेयर सहित नौ भण्डारण टैंकों (अनुमानित लागत: ₹11.49 करोड़) का संबंध है, ₹3.37 करोड़ का व्यय उन भण्डारण टैंकों पर किया गया था जो पूर्ण नहीं हुए थे और केवल दो भण्डारण टैंक अर्ध-प्रकार्यात्मक थे। इसलिए, सात अधूरे और गैर-प्रकार्यात्मक भण्डारण टैंकों पर ₹3.04 करोड़[49] का व्यय व्यर्थ था।

इसी तरह, 11 भण्डारण टैंकों (अनुमानित लागत: ₹7.80 करोड़[50]) के मामले में, जिन्हें किसी भी निजी/ वन भूमि की आवश्यकता नहीं थी, दस भण्डारण टैंकों (भूमि विवाद के कारण एक भण्डारण टैंक निर्माण हेतु नहीं लिया गया था) के कार्य

---

46 2013-14: ₹1.80 करोड़; 2014-15: ₹2.20 करोड़; 2015-16: ₹3.40 करोड़; 2016-17: ₹1.00 करोड़; 2017-18 ₹1.24 करोड़; 2018-19: ₹0.26 करोड़।

47 2013-14: ₹1.80 करोड़; 2014-15: ₹1.11 करोड़; 2015-16: ₹1.02 करोड़; 2016-17: ₹1.00 करोड़; 2017-18: ₹1.24 करोड़; 2018-19: ₹0.26 करोड़।

48 वन भूमि: 10.251 हेक्टेयर; निजी भूमि: 30.80 हेक्टेयर।

49 नौ टैंकों पर किया गया ₹3.37 करोड़ का व्यय माइनस दो अर्ध-प्रकार्यात्मक टैंकों पर किया गया ₹0.33 करोड़ का व्यय।

50 अनुमानित लागतः ₹92.00 लाख वाले भण्डारण टैंक ज़िन्नर को छोड़कर जो निष्पादन हेतु नहीं लिया गया।

के निष्पादन पर ₹3.06 करोड़ का व्यय (2013 से 2019) किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन दस भण्डारण टैंकों में से केवल एक भण्डारण टैंक पूरी तरह प्रकार्यात्मक था और छह अर्ध-प्रकार्यात्मक थे। इसके अलावा, शेष तीन भण्डारण टैंक, इन टैंकों पर ₹63.19 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद आंशिक रूप से भी प्रकार्यात्मक नहीं थे। इन तीन भण्डारण टैंकों में से, दो[51] पर ₹43.59 लाख व्यय करने के बाद छोड़ दिया गया था। क्योंकि गुन्सनार भण्डारण टैंक के लिए पहचानी गई भूमि सेना के आयुध भण्डार के करीब थी जिसके लिए सेना से निर्बाधता की स्वीकृति (जुलाई 2020) नहीं मिली थी तथा इस भण्डारण टैंक के लिए चयनित वैकल्पिक स्थान किंजलदूरी निचामा मृदा परीक्षण में असफल रहा जिसके कारण ₹43.59 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, हंदवाड़ा ने (जुलाई 2019) में कहा कि निधियों के अभाव और निर्गत करने में देरी के कारण वन विभाग के साथ मांगपत्रों को प्रोसेस नहीं किया जा सका और निजी भूमि भी अधिग्रहित नहीं की जा सकी।

यह जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी जैसा कि डीपीआर से देखा गया, एक कार्य के अलावा, अन्य कार्यों के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया (जुलाई 2020) था। इसके अलावा, वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान डिवीजन आबंटित निधियों का उपयोग करने में समर्थ नहीं था और ₹3.47 करोड़ (35 प्रतिशत) की बचत थी, जो व्यपगत हो गई।

इस प्रकार, निजी भूमि अधिग्रहण, वन विभाग/ रक्षा प्राधिकरण से पूर्व निर्बाधता प्राप्त किए बगैर भण्डारण टैंकों का निर्माण प्रारंभ करने की अनुचित योजना का परिणाम, निधियों की उपलब्धता के बावजूद ₹3.67 करोड़[52] के व्यर्थ व्यय के रूप में हुआ।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

---

51 किंजलदूरी निचामाः ₹38.29 लाख; गुन्सनार ₹5.30 लाख।

52 सात गैर-प्रकार्यात्मक भण्डारण टैंकों पर व्यय, जिनमें निजी /वन भूमि की आवश्यकता होती हैः ₹3.04 करोड़ और तीन गैर-प्रकार्यात्मक भण्डारण टैंकों पर व्यय जिसमें निजी/ वन भूमि की आवश्यकता नहीं थी: ₹0.63 करोड़।

विभाग को बाधा रहित योजनाओं का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए जिससे आरंभ की गयी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

2.6 लिफ्ट सिंचाई योजना पर निष्फल व्यय

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, सुंबल द्वारा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए निर्माण कार्यों का निष्पादन आरंभ करने से पूर्व पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन न करने से योजना की लागत में संशोधन तथा योजना समापन के लिए आठ वर्षों की अवधि से अधिक तक अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने में असमर्थता का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने योजना पर ₹2.23 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

जिला बांदीपोरा के सुंबल-सोनवारी निर्वाचन क्षेत्र में शिलवत से सुंबल और वांगीपोरा से अंखोला क्षेत्र में 1,436 एकड़ भूमि को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए, कार्यपालक अभियंता (ईई), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (आईएण्डएफसी) डिवीजन, सुंबल ने वर्ष 2007-08 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत ₹1.77 करोड़[53] की अनुमानित लागत पर बाबाजंगी-वांगीपोरा-खुरवान लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) के निर्माण का कार्य आरंभ किया। योजना को एक कार्य मौसम[54] में पूरा किया जाना प्रस्तावित था।

ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, सुंबल और ईई, यांत्रिक सिंचाई (एमआई) डिवीजन, शादीपोरा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2018) से पता चला कि योजना के वर्टिकल पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए मूल स्थान का चयन पर्याप्त प्रारंभिक सर्वेक्षण के बिना किया गया था और बाद में व्यवहार्य नहीं पाया गया। संविदा प्रदान करने के बाद इसे (जनवरी 2009) बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के अतिरिक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन करना प्रस्तावित किया गया था जिसने योजना पर लागत में संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। तदनुसार, मुख्य अधीक्षण अभियंता, हाइड्रोलिक सर्किल बारामूला/ बांदीपोरा द्वारा मुख्य अभियंता, श्रीनगर को ₹3.11 करोड़[55] की अनुमानित लागत (जनवरी 2012) के साथ एक संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत किया गया जिसे अनुमोदित (जून 2020) नहीं किया गया था। इसकी ₹1.77 करोड़ की मूल लागत के प्रति योजना के निष्पादन पर

---

53 सिविल कार्यः ₹96.90 लाख; यांत्रिक कार्यः ₹79.90 लाख।

54 सितंबर से आरंभ होकर आगामी वर्ष के मार्च तक।

55 सिविल कार्यः ₹202.58 लाख; यांत्रिक कार्यः ₹108 लाख।

₹2.23 करोड़[56] का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.46 करोड़ का अप्राधिकृत व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, योजना प्रकार्यात्मक नहीं (जून 2020) थी। एमआई डिवीजन, शादीपोरा द्वारा ₹0.83 करोड़ की लागत पर खरीदे गए विद्युत-यांत्रिक उपकरण[57] भी संस्थापित/ चालू नहीं थे, और ये उपकरण जून 2020 तक भण्डार में या कार्य स्थल पर अप्रयुक्त ही पड़े हुए थे। इस प्रकार, लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को आरंभ करने से पहले पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन न करने में ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, सुंबल की विफलता ने योजना की लागत में संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा, योजना के समापन के लिए प्रस्तावित ₹0.88 करोड़ की अतिरिक्त निधियों की आठ वर्षों की अवधि से अधिक में भी व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिसने ₹2.23 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

इसे इंगित किए (मार्च 2018) जाने पर ईई, आईएण्डएफसी डिवीजन, सुंबल ने कहा (मार्च 2018/ जुलाई 2019) कि योजना के सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो चुके थे, यांत्रिक कार्यों का समापन प्रतीक्षित था और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों[58] के समापन के लिए ₹25.22 लाख की राशि अपेक्षित थी। ईई, एमआई डिवीजन, शादीपोरा ने कहा (मई 2016/ मार्च 2018) कि सिविल घटक के समापन नहीं होने के कारण और निधियों के अभाव में कुछ मदों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका और योजना को प्रकार्यात्मक नहीं बनाया जा सका। यह भी कहा गया था (जून 2020) कि योजना को पूरा करने के लिए ₹1.77 करोड़ की अनुमानित लागत से अतिरिक्त वित्तपोषण की अनुमति दी गई थी और मुख्य अभियंता ने मौखिक रूप से दोहराया था कि योजना के समापन के पश्चात् संशोधित लागत की औपचारिक संस्वीकृति जारी की जायेगी।

कार्यकारी अभियंता का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु मूल स्थल के परिवर्तन से पुष्टि हुई कि कार्य के निष्पादन को आरंभ करने से पहले उचित सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, संशोधित डीपीआर के अनुमोदन के बिना योजना कार्य के निष्पादन सहित इसके समापन हेतु

---

56 सिविल कार्य: ₹1.40 करोड़; यांत्रिक कार्य: ₹0.83 करोड़।

57 पम्प मोटर को फरवरी 2020 में साइट पर स्थानांतरित कर दिया गया, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन सृजित, मुख्य यांत्रिक घटक जैसे पंप माउंटिंग स्ट्रक्चर, ओवरहेड क्रेन वर्किंग प्लेटफॉर्म, साइट पर संस्थापित राइजिंग मेन, अन्य यांत्रिक एवं विद्युत घटक और डिविजनल स्टोर्स में पड़े हुए ट्रांसफार्मर।

58 वांगिपोरा-खुरवान नहर के दोनों किनारों पर अस्तर की दीवार का निर्माण: ₹18.07 लाख; चेन लिंक फेंसिंग और लोहे के गेट का निर्माण: ₹2.70 लाख और फेस लिफ्ट और संबद्ध कार्यों का निर्माण: ₹4.45 लाख।

पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता ने योजना पर किये गये ₹2.23 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

विभाग को कार्य शीघ्रता से पूरा करने लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में परियोजना के निष्पादन से पूर्व तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है।

विधिक माप विज्ञान विभाग

2.7 धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त मोबाइल क्रेनों का कम उपयोग

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई ₹1.18 करोड़ की राशि का धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त मोबाइल क्रेनों के संचालन के लिए चालक/ प्रशिक्षित स्टाफ को विनियोजित करने में विधिक मापविज्ञान विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप उनका कम उपयोग हुआ तथा मापांकन की मैनुअल प्रथा/ धर्मकांटों के सत्यापन को आधुनिक बनाने और परिवर्तित करने के अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

भारत सरकार (जीओआई) ने 'वजन और माप अवसंरचना का सुदृढीकरण' योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) के विधिक माप विज्ञान विभाग को ₹1.18 करोड़[59] (दिसंबर 2008 और मार्च 2012) की राशि की धर्मकांटा परीक्षण किटों से युक्त दो मोबाइल क्रेनों को उपलब्ध कराया। उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू[60] ने इन मोबाइल परीक्षण किटों के उपयोग से न्यूनतम राजस्व ₹ दस लाख प्रति वर्ष का अनुमान (मार्च 2009) लगाया। जेएण्डके सरकार ने पूरे राज्य में संस्थापित धर्मकांटों के सत्यापन के लिए परीक्षण भारों के साथ लोडेड मोबाइल किटों के उपयोग के लिए ₹2,000 उपयोगकर्त्ता शुल्क के रूप में निर्धारित (नवंबर 2011) किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2018) से पता चला कि चालक/ प्रचालक और अनुरक्षण हेतु अपेक्षित निधियों की अनुपलब्धता के आधार पर, दिसंबर 2008 में प्राप्त एक

---

[59] दिसंबर 2008 में प्राप्त क्रेन की लागतः ₹50.94 लाख; मार्च 2012 में प्राप्त क्रेन की लागत: ₹66.88 लाख।

[60] प्रति वर्ष ₹10 लाख की दर से एकत्र किया जाना था।

मोबाइल क्रेन को मई 2010 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका। तदुपरांत, मई 2010 से नवंबर 2010 तक, इसे जम्मू एवं कश्मीर राज्य पथ परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी) से प्रतिनियुक्ति पर एक चालक प्राप्त करके केवल सात महीने के लिए उपयोग किया गया था। इस अवधि के दौरान, केवल 11 धर्मकांटों का सत्यापन किया गया था। यह मोबाइल क्रेन निधियों की अनुपलब्धता के कारण नवंबर 2010 से ऑफ रोड थी और कठुआ के औद्योगिक इस्टेट में एक निजी उद्योग के परिसर में खड़ी थी। मोबाइल क्रेन के पिछले टायर चोरी हो गए हैं (जनवरी 2011) जिसके लिए पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

तदुपरांत, संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू ने (अगस्त 2012) निदेशक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जीओआई, नई दिल्ली से इस वाहन को वापस लेने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया कि इसके बड़े आकार के कारण, इसका बेहतर उपयोग गलियों में तथा जम्मू की औद्योगिक इकाइयों की संकीर्ण गलियों में नहीं किया जा सका, और आगे यह भी कहा गया कि उक्त वाहन को वापस ले लिया जाए और किसी अन्य मांग करने वाले और जरूरतमंद राज्य को आबंटित कर दिया जाए। भारत सरकार से एक दूसरी मोबाइल क्रेन मार्च 2012 में प्राप्त हुई थी और चालक की आंतरिक व्यवस्था करने के उपरांत केवल फरवरी 2015 से जून 2018 तक इसका उपयोग किया गया था। यह दूसरी मोबाइल क्रेन भी चालक की अनुपलब्धता के कारण जुलाई 2018 से गैर-प्रकार्यात्मक रही।

इस पर इंगित किए जाने पर, उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि विभाग द्वारा 2009-18 के दौरान 887 धर्मकांटों का सत्यापन/ पुनः सत्यापन किया गया था, जिसके लिए ₹17.74 लाख की राशि वसूल की गयी थी। यह भी कहा गया था कि लॉगबुक के अनुसार केवल 171 धर्मकांटों को उपलब्ध करायी गई परीक्षण किट द्वारा सत्यापन/ पुनः सत्यापन किया गया था और शेष 716 धर्मकांटें परीक्षण किट के उपयोग के बिना ही पारित किए गए थे। इसलिए, ₹3.42 लाख[61] का उपयोगकर्त्ता शुल्क केवल मोबाइल परीक्षण किटों के उपयोग द्वारा वसूल किया गया था।

चूंकि विभाग इन क्रेनों की कार्यशैली के प्रभावी उपयोग और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए चालक/ प्रशिक्षित कर्मचारियों को विनियोजित करने में विफल रहा,

[61] 171 धर्मकांटों के संबंध में ₹2,000 की दर पर उपयोगकर्त्ता प्रभार ₹3,42,000 है।

इसलिए ₹1.18 करोड़ की उपलब्ध करायी गयी ये मोबाइल क्रेन अप्रयुक्त रहीं। जैसा कि उनके स्वयं के उत्तर में कहा गया था कि विभाग केवल 2009-18 के दौरान ₹17.74 लाख के उपयोगकर्त्ता प्रभार की वसूली करने में समर्थ था, जो उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, जम्मू द्वारा मोबाइल परीक्षण किटों के उपयोग से अनुमानित ₹90 लाख[62] (मार्च 2009) के उपयोगकर्त्ता शुल्क के अनुमानित संग्रह से काफी कम था। इसलिए, विभाग मापांकन की मैनुअल प्रथा/ धर्मकांटों के सत्यापन को आधुनिक बनाने और उनमें परिवर्तन करने में असफल रहा, जिसके कारण मानव इंटरफेस को कम नहीं किया जा सका।

जब यह मामला (मई 2020) विभाग को भेजा गया, तो उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जम्मू ने प्रशासनिक विभाग के निर्देशों पर एक व्यापक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की (जुलाई 2020) जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि उपलब्ध चालकों/ स्टाफ का उपयोग मोबाइल परीक्षण किटों के परिचालन के लिए नहीं किया गया था। ये किट अब स्क्रैप हो गयी हैं, क्योंकि अब वे वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के लिए नए मानदंडों का पालन नहीं करती हैं और विभाग 2008 में इसकी प्राप्ति के उपरांत वार्षिक ₹ दस लाख के अनुमानित राजस्व (उपयोगकर्त्ता प्रभार) की वसूली नहीं कर सका। नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, जम्मू एवं कश्मीर ने अपने जवाब में (अगस्त 2020) कहा कि वाहन का न तो परिवहन विभाग में पंजीकरण हुआ है, और न ही इस संबंध में अभी तक कोई प्रयास किए गए हैं।

इस प्रकार विभाग इन क्रेनों की कार्यशैली हेतु प्रभावी उपयोग और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए चालक/ प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करने में विफल रहा, जिसके द्वारा ₹1.18 करोड़ की उपलब्ध कराई गयी ये मोबाइल क्रेन अप्रयुक्त रहीं। इसके अलावा, मापांकन की मैनुअल प्रथा/ धर्मकांटों के सत्यापन को आधुनिक बनाने और परिवर्तित करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

यह मामला विभाग/ सरकार को मई 2020 में भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीनरी की आवश्यकता को प्रोसेस करने से पूर्व उनकी आधुनिकता के साथ-साथ अनुकूलतम उपयोग के लिए अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध है तथा कार्य प्रक्रियाओं का रूपांतरण प्राप्त कर लिया गया है।

---

[62] प्रति वर्ष ₹10 लाख की दर से संग्रह किया जाना था।

विद्युत विकास विभाग

2.8 अप्रयुक्त वेतन का अप्राधिकृत भुगतान

विद्युत विकास विभाग की या तो संस्वीकृत संख्या से अधिक परिनियोजित चालकों/ शोफरों का स्थानांतरण करने या उनकी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफलता का परिणाम मार्च 2015 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान चालकों/ शोफरों को ₹79.46 लाख के अप्रयुक्त वेतन के भुगतान और अप्राधिकृत आहरण के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता (खण्ड-1) के नियम 4 और 6 उस कार्यविधि को निर्धारित करते हैं जिसके तहत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को विनियमित किया जाना है। विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्यालय की प्रभावी कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में स्टाफ पदस्थापित है।

सब ट्रांसमिशन डिवीजन-III, कठुआ में चालकों/ शोफरों के दो पद संस्वीकृत थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान डिवीजन में उपलब्ध चार विभागीय वाहनों में से तीन अनुपयोगी/ नीलामीकृत (27 अप्रैल 2007/08 फरवरी 2017) थे और एक वाहन अगस्त 2013 से परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं था। डिवीजन ने सितंबर 2013 से एक वाहन को किराये पर लिया क्योंकि केवल एक शेष बचे हुए वाहन को अनुपयोग (दिसंबर 2019) हेतु अनुशंसित किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2017) और उसके उपरांत सूचनाओं के संग्रहण (फरवरी 2018 से जुलाई 2019 के बीच) से पता चला कि दो चालकों/ शोफरों की संस्वीकृत संख्या के प्रति डिवीजन में पांच चालक/ शोफर (मार्च 2015 से) कार्यरत थे। इस बीच, मार्च 2015 से जनवरी 2019 के दौरान चालकों की संस्वीकृत संख्या से अधिक तीन अतिरिक्त चालकों के वेतन का आहरण किया गया। बिना किसी आधिकारिक ड्यूटी/ चालन हेतु उपलब्ध वाहन होने के बावजूद चार चालकों के लिए वेतन और भत्तों का आहरण अप्राधिकृत था और किसी आधिकारिक ड्यूटी के निष्पादन के बिना वेतन के भुगतान को बढ़ा दिया। इस प्रकार, चालकों/ शोफरों, जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया था, की सेवाओं का अनुपयोग नियमों के विरुद्ध है, जिसका परिणाम अवधि (मार्च 2015 से जनवरी 2019) के दौरान उनको अप्रयुक्त वेतन के भुगतान के रूप में हुआ। मार्च 2015 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान अधिशेष चालकों/ शोफरों के

अप्रयुक्त वेतन और भत्तों की राशि ₹79.46 लाख[63] थी। संस्वीकृत संख्या से परे वेतन एवं भत्तों का आहरण अप्राधिकृत है और इसकी जांच की आवश्यकता है।

डिवीजन के कार्यपालक अभियंता (ईई) ने कहा (फरवरी/ अक्टूबर 2019/ जुलाई 2020) कि डिवीजन में दो चालकों के संस्वीकृत पदों के प्रति दो शोफर और एक चालक विभिन्न तिथियों से पदस्थापित थे। इन चालकों/ शोफरों में से एक किराये के वाहन को चला रहा है और जुलाई 2019 तक दो चालक/ शोफर सेवानिवृत्त[64] हो गए हैं। आगे यह भी कहा गया था कि चालकों की सेवाओं के उपयोग से संबंधित मामले को उच्च प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर उठाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना किसी वाहन को चलाए चालक, बिना किसी आधिकारिक ड्यूटी के डिवीजन में लगातार अक्रियाशील रहे। दिसंबर 2017 तक तीन पदों के विनियमन से संबंधित आदेश अभी तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

यह मामला मई 2020 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक जनशक्ति नहीं रोकी गयी है और वेतनों के आहरण हेतु पर्याप्त नियंत्रण का प्रयोग किया गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.9 निष्फल व्यय तथा निधियों का अवरोधन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सात वर्षों की अवधि से अधिक में जलापूर्ति संवर्धन योजना को प्रकार्यात्मक बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹78.28 लाख का निष्फल व्यय और ₹39 लाख का अवरोधन हुआ।

आलिया, बिस्सी कालाकोट और देहारी गांवों के स्थानीय निवासियों के लिए पेयजल की आपूर्ति की वृद्धि हेतु कार्यपालक अभियंता (ईई), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) डिवीजन, रियासी ने ₹1.19 करोड़ की अनुमानित लागत पर आलिया में जलापूर्ति संवर्धन/ सुधार योजना को प्रस्तावित (2006) किया। इस योजना को इन गांवों में निवास करने वाली वर्तमान जनसंख्या 1,586 के प्रति आगामी 15 वर्षों में होने वाली अनुमानित जनसंख्या 5,386 को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए

63 2015-16: ₹19.86 लाख; 2016-17: ₹20.22 लाख; 2017-18: ₹21.30 लाख; 2018-19: ₹18.08 लाख

64 एक चालक 31 मार्च 2018 को और दूसरा चालक 31 जुलाई 2019 को।

अभिकल्पित किया गया था। नाबार्ड[65] और राज्य सरकार से 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण सहित ₹1.17 करोड़ की लागत एक वर्ष की निर्धारित समापन अवधि सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को योजना के लिए अनुमोदित (2011-12) किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2018/ जुलाई 2019) से पता चला कि वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान निर्गत ₹1.17 करोड़[66] की राशि के प्रति सामग्री की अधिप्राप्ति, योजना के कुछ घटकों[67] के निर्माण आदि पर ₹1.17 करोड़[68] का व्यय किया गया था। हालांकि, संवर्धन योजना को प्रस्तावित स्रोत के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया, योजना हेतु एक खुदे हुए कुएं को खोदा गया जिसे अगस्त 2019 तक प्रकार्यात्मक नहीं किया गया, और ₹39 लाख मूल्य की सामग्री (अगस्त 2019) अप्रयुक्त रही।

लेखापरीक्षा में इंगित (सितंबर 2018/ जुलाई 2019) किए जाने पर, ईई, पीएचई डिवीजन, रियासी ने कहा (मई 2019/ अगस्त 2019) कि बोरवैल को खुदाई के पश्चात् ढंक दिया गया और इसकी सुरक्षा के लिए पंप रूम का भी निर्माण किया गया था। हालांकि, पंप को नीचे करते समय यह देखा गया था कि बोरवैल पत्थरों से भर गया था जिसे साफ नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसके लिए रूम के स्लैब और दीवारों को नष्ट करना आवश्यक था। यह भी कहा गया था कि इस मामले को उच्च प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया और बोरवैल को मरम्मत की आवश्यकता थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹तीन लाख थी।

हालांकि, तथ्य यह रहता है कि ₹1.17 करोड़ के व्यय के बावजूद, परियोजना के अनुसार चिह्नित गाँवों में जलापूर्ति का संवर्धन (अगस्त 2019) नहीं किया जा सका, जिसके कारण तीनों गाँवों की वर्तमान जनसंख्या के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसलिए, कुएं की मरम्मत कराने और सात वर्षों की अवधि

---

65 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

66 2011-12: ₹51.67 लाख; 2012-13: ₹13.50 लाख; 2013-14: ₹12.99 लाख; 2014-15: ₹1.43 लाख; 2015-16: ₹14.66 लाख; 2016-17: ₹23.06 लाख।

67 खुदे कुएं, पंप रूम, राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली, चौकीदार क्वार्टर, ग्राउंड सर्विस जलाशय, पम्पिंग मशीनरी, संप टैंक आदि का निर्माण।

68 2011-12: ₹51.64 लाख; 2012-13: ₹13.50 लाख; 2013-14: ₹12.99 लाख; 2014-15: ₹1.43 लाख; 2015-16: ₹14.66 लाख; 2016-17: ₹23.06 लाख।

से भी अधिक में संवर्धन योजना को प्रकार्यात्मक बनाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹78.28 लाख का निष्फल व्यय और ₹39 लाख का अवरोधन हुआ।

यह मामला मई 2020 में सरकार को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

विभाग को संवर्धन योजना को प्रकार्यात्मक बनाने के लिए खुदे हुए कुएं की मरम्मत हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसंपत्तियाँ सम्यक रूप से सुरक्षित हैं।